

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Tuesday, 17th March 2026/ 26, Phalgun, 1947 (Shaka)

No. 38

**CONVENING OF THE SECOND PART OF THE FOURTH SESSION OF THE
EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY
OF DELHI:**

Hon'ble Members are informed that the sitting of the Second Part of the Fourth Session of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will be convened from **Monday, 23rd March 2026 at 11:00 A.M.** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

**ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING THE
SECOND PART OF THE FOURTH SESSION:**

The sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for **23rd, 24th & 25th March, 2026**. Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly will commence at 11:00 A.M. and shall continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are requested to take their respective seats allotted to them in the House.

SPECIAL MENTION (UNDER RULE-280):

As per direction of Hon'ble Speaker, Hon'ble Members who want to raise matters under Rule-280 may **give the Notice through NeVA portal (<https://cms.neva.gov.in/>)** of the same by 05:00 P.M. on the working day preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 09:30 A.M. on the day which it is proposed to be raised. Notices for Special mention (Under Rule-280) can be given for 23rd & 25th March, 2026.

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

Contd.../2-

Procedure for Notices:

- (a) Hon'ble Members are informed that, as per directions of the Hon'ble Speaker, all Notices required by the Rules shall be given only through **NeVA Portal** (<https://cms.neva.gov.in>).
- (b) Hon'ble Members who are unable to send the notices through the NeVA portal are requested to approach the staff in the **Notice Branch (Room No.46) or the NeVA Sewa Kendra**, who shall assist in submitting the Notice through the portal during office hours i.e. 09.30 AM to 6.00 PM on all working days.
- (c) For the assistance of the Hon'ble Members a facilitation centre is operational at the **NeVA Sewa Kendra**. Hon'ble Members or their duly authorised Staff, may make use of this facility in case they need any assistance regarding the NeVA Portal.

VISITORS' GALLERY:

Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes

The following directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are detailed below for the kind information and compliance by Hon'ble Members:-

- i. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
- ii. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
- iii. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
- iv. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the visitors' gallery passes are required.
- v. The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
- vi. No admission cards for the visitors' gallery will ordinarily be issued on the same day.

**Ranjeet Singh
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या-38

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र के द्वितीय भाग का आयोजन :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र के द्वितीय भाग की बैठक सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2026 से पूर्वाह्न 11:00 बजे विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आयोजित होगी।

चतुर्थ सत्र के द्वितीय भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठक अस्थायी तौर पर 23, 24 एवं 25 मार्च, 2026 के लिए निर्धारित की गई है। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ायी जा सकती है।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से 05 मिनट पूर्व बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें।

बैठने की व्यवस्था:

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में अपने निर्धारित आसन ग्रहण करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना, मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराह्न 05.00 बजे तक नेवा पोर्टल (<https://cms.neva.gov.in/>) के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की परस्पर प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग उस दिन पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 23 एवं 25 मार्च, 2026 के लिए विशेष उल्लेख (नियम-280) की सूचनाएँ दी जा सकती हैं।

बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग तथा एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, नियमों के तहत सभी अपेक्षित नोटिस/प्रश्न केवल एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल (<https://cms.neva.gov.in/>) के माध्यम से ही दिए जाएंगे।
- (ख) जो माननीय सदस्य एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजने में असमर्थ हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नोटिस शाखा (कक्ष संख्या-46) या एन.ई.वी.ए. (नेवा) सेवा केंद्र के स्टाफ से संपर्क करें, जो कार्यालय समय के दौरान सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजने में सहायता प्रदान करेंगे।
- (ग) माननीय सदस्यों की सहायता के लिए, एन.ई.वी.ए. (नेवा) सेवा केंद्र में सुविधा केंद्र बनाया गया है। माननीय सदस्य या उनके द्वारा अधिकृत स्टाफ, एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

दर्शक-दीर्घा :

दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश :

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देशों का विवरण माननीय सदस्यों की सूचना एवं अनुपालन हेतु नीचे दिया गया है:-

- i. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
- ii. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
- iii. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- iv. जिस दिन के लिए दर्शक दीर्घा का पास चाहिए, उसका आवेदन पत्र उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
- v. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
- vi. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

रंजीत सिंह
सचिव